## बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय) संचिका संख्या—11/चक0(26—क)—06—01/2024

# अधिस्चना

693 दिनांक २२/०५/२०६५ बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण एस0ओ0 अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अमिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित है, की समेकन संक्रियाएं बन्द की जाती है।

क्र0	 अंचल	मौजा का नाम	थाना नं0
1	करगहर	कोडियारी	182
2	करगहर	अन्दौर	41
3	करगहर	बाराडीह	38
4	करगहर	बाराडीह	74

बिहार राज्यपोल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

एस0ओ0 दिनांक

693 दिनांक -२7/05/2024 / एस0ओ०

का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के

अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाली के आदेश से

राजस्व र्वं भूमि सुधार विभाग।

# Govt. of Bihar Revenue & Land Reforms Department Directorate of Consolidation Notification

File No. 11/चक0(26-क)-06-01/2024

S.O Dated . In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

### **Schedule**

Serial no.	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Kargahar	Kodiyari	182
2	Kargahar	Andaur	41
3	Kargahar	Baradhih	38
4	Kargahar	Baradhih	74

By Order of the Governor of Bihar S.D/Special Secretary of Government

सरकार के विशेष सायप

बिहार राज्यपाल के आदेश से